फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम नारायणी देवी

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 369/2022

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.04.2025	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पूर्व में पेश। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा विवादित आराजीयात का आवासीय प्रयोजन हेतु भू–परिवर्तन करा दिया गया है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की पालना कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र मय आदेश पेश कर निवेदन है कि प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें। बहस अधिवक्ता प्रतिवादीया सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादीया द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा अपनी आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के कारण अमल में लायी गयी थी। परन्तु प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा कर विवादीत आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया। इसलिए प्रकरण को खारिज फरमाया जावें। बहस अधिवक्ता प्रतिवादीया पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका मण्डल जोबनेर के आदेश क्रमांक 1231 दिनांक 10.10.2024 को अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगर पालिका मण्डल जोबनेर के आदेश क्रमांक 1231 दिनांक 10.10.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया/प्रतिवादीया की सम्पूर्ण आराजी खसरा संख्या 725/603 रकबा 0.3161 हे0 वाकै ग्राम ढाणी नागान का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करा लिया गया है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कार्यवाही अमल में लाने का कारण कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करना ही था। चुकि अब उक्त भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है तो उक्त कार्यवाही औचित्यहीन हो चुकी है। इसलिए अधिवक्ता प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण का निस्तारण किये स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने हेतु खारिज किया जाता हैं। निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर